

Memorandum of Association, Rules and Regulations

3
3

न



**BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE
PILANI (RAJASTHAN)**

March 2008



राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक — 21 1964-65

यह प्रमाणित किया जाता है कि दी बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलौजी एण्ड साइन्स, पिलानी जिला झुंझुनूं का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं० 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक तेरह माह मई सन् एक हजार नौ सौ चौसठ को जयपुर में दिया गया।

ह० विष्णुदत्त शर्मा
रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान
जयपुर

Seal of the
Registrar of Societies
Jaipur, Rajasthan



*Notification published in the Gazette of India, Part-I Section I,
Dated 27-6-1964*

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 18th June, 1964.

No. F.12-23/63-U2 - In exercise of the powers conferred by section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the Commission, hereby declares that the Birla Institute of Technology and Science, Pilani, which is an institution for higher education, shall be deemed to be a University for the purposes of the said Act.

G.K. CHANDIRAMANI
Jt. Secretary

